जेएसजी जैन सोशल ग्रुप ने मनाया भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 26 जून। जैन सोशल ग्रुप ग्वालियर द्वारा तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव चितोरा ओली, माधवगंज स्थित जैन मंदिर में श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ धूमधाम से मनाया गया।

कार्यक्रम के पुण्यार्जक जितेंद्र जैन रहे। कार्यक्रम का आयोजन धार्मिक संयोजक जितेंद्र जैन, सह-धार्मिक संयोजक निकुंज जैन एवं सूरज जैन के सानिध्य में संपन्न हुआ।

▶ युवाओं ने सामूहिक रूप से किया प्राचीन प्रतिमा का अभिषेक

जैन समाज प्रवक्ता ललित जैन भारती ने बताया कि संपूर्ण वातावरण भगवान के जयघोष एवं भक्ति से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर जैन सोशल ग्रुप ग्वालियर के रविन्द्र जैन 'बाबा ', पूर्व अध्यक्ष रोहित जैन, अध्यक्ष मोदी अरविंद जैन, सचिव दीपक जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, सह-सचिव गौरव जैन, गगन जैन, आशीष जैन, अनुराग जैन,अमित जैन, अमित जैन, मनीष जैन, संवेद जैन, अनमोल जैन, आर्जव जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

गुरु सेवा दल मंडल ने सेवा सप्ताह में राहगीरों को बाँटा शरबत

ग्वालियर 26 जून. गुरु सेवा दल मंडल ग्वालियर द्वारा सेवा पथ सेवा सप्ताह में पंजाबी समाज के कुलगुरुओ के गद्दी ठिकाना कलानौर के शिष्यो द्वारा गुर दा लंगर प्रति माह के प्रथम रविवार को जेएएच हॉस्पिटल या अन्य किसी हॉस्पिटल में वितरित किया जाता है। निर्जला एकादशी पर गुरु सेवा दल मंडल द्वारा सेवा सप्ताह के तहत शिंदे की छावनी, रामदास घाटी एवं छप्परवाला पुल सहित कई जगह पर ठंडा शरबत राहगीरों को वितरित किया गया। सेवा करने वालों में इंद्र कुमार बत्रा, रवि अनेजा, रिंकू कथुरिया शामिल थे.

भाजपा नेता विवेक जोशी को मातृशोक

ग्वालियर। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विवेक जोशी की माताजी श्रीमती कुमुदिनी जोशी का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके निधन से परिवार सहित सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। उनके निधन की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों तथा शुभचिंतकों ने गहरा दु:ख व्यक्त किया। अंतिम यात्रा शनिवार, 27 जून को प्रात: 9 बजे उनके निज निवास, माली वाली गली, खासगी बाजार, लश्कर से प्रारंभ होगी। इसके बाद अंतिम यात्रा महाराष्ट्रीयन मुक्तिधाम, लक्ष्मीगंज, ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त ने जलभराव एवं सीवर व्यवस्था का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 26 जून। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने शुक्रवार को ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जलभराव संभावित क्षेत्रों, नालों, सीवर परियोजनाओं एवं विकास कार्यों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीवर निकासी, नाला सफाई, स्वर्णरेखा नदी से मिट्टी हटाने तथा वर्षाकालीन तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि वर्षाकाल के दृष्टिगत जलनिकासी, सीवर व्यवस्था एवं स्वच्छता कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण की शुरुआत 145 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से हुई, जहां निर्धारित क्षमता की तुलना में मात्र 80 एमएलडी सीवर जल पहुंचने पर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीवर लाइन में जहां भी अवरोध हो, उसे तत्काल दूर किया जाए तथा सभी पंप पूर्ण क्षमता से संचालित किए जाएं, जिससे शहर की सीवर व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

इसके पश्चात 20 एमएलडी पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया गया। यहां बिना उपचारित सीवर जल के सीधे जलालपुर नहर में प्रवाहित होने पर निगम आयुक्त ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए निर्देश दिए कि शीघ्र कार्ययोजना तैयार कर इस जल को 145 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाए तथा उपचार के उपरांत ही आगे छोड़ा जाए।

निगम आयुक्त ने जलालपुर एवं लधेड़ी क्षेत्र में एलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान स्वर्णरेखा नदी में जमा मिट्टी हटाने के कार्य का भी निरीक्षण किया। जहां-जहां मिट्टी शेष पाई गई, वहां मैन्युअल रूप से तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए।

नौखन की पुलिया पर नाला सफाई कार्य का निरीक्षण करते हुए उन्होंने वर्षाकाल तक स्थायी रूप से कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि नालों में कचरा न पहुंचे और वर्षा जल का प्रवाह निर्बाध बना रहे। सागरताल स्थित ताजिया विसर्जन स्थल पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों को रात्रि तक तैनात रहने तथा पानी, विद्युत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान आनंद नगर रोड को रोलर चलाकर मोटरेबल बनाने, बहोड़ापुर क्षेत्र में सड़क पर पड़ी गिट्टी एवं निर्माण सामग्री तत्काल हटाने तथा विनय नगर में नाला सफाई के बाद निकाले गए कचरे का शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे वर्षा के दौरान कचरा पुन: नालों में न पहुंचे।

झाड़ूवाला मोहल्ला एवं सत्यनारायण की टेकरी के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने झाड़ूवाला मोहल्ले में जलभराव रोकने के लिए पंपों का निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित पीएचई अधिकारियों के विरुद्ध वेतनवृद्धि रोकने जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं

मेवाती मोहल्ले में कचरा ढिया समाप्त कराने के निर्देश

मेवाती मोहल्ले के निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में कचरा ढिया पाए जाने पर अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय नागरिकों के सहयोग के अभाव में समस्या बनी हुई है। इस पर निगम आयुक्त ने संबंधित क्षेत्र में कर्मचारी तैनात कर कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के हाउस टैक्स, जलकर एवं भवन अनुमति संबंधी अभिलेखों की जांच कर अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

क्रिएटिव हाउस के प्रत्याशियों सुरेश बंसल और राकेश अग्रवाल ने किया जनसंपर्क

ग्वालियर। मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स में होने जा रहे चुनाव को देखते हुए क्रिएटिव हाउस के प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी है। क्रिएटिव हाउस द्वारा पांच प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतर गया है। अध्यक्ष पद खाली रखा गया है। क्रिएटिव हाउस के संयुक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेश बंसल एवं संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी राकेश अग्रवाल रेडीमेड वाले ने शुक्रवार को बसंत विहार में सघन जनसंपर्क किया। संयुक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेश बंसल का कहना है कि मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना.

अवैध होर्डिंग हटाने के लिए निगमायुक्त का होर्डिंग संचालकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 26 जून। नगर निगम ग्वालियर ने निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति स्थापित आउटडोर मीडिया उपकरणों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

▶ नगर निगम ने अवैध आउटडोर मीडिया उपकरण हटाने के दिए निर्देश, 27 जून रात 9 बजे तक की समय-सीमा निर्धारित

नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जोन क्रमांक 1 से 25 तक राजस्व कर संग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई , जानकारी में पाया गया है कि शहर के अनेक स्थानों पर यूनिपोल, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर एवं अन्य आउटडोर मीडिया उपकरण निगम की अनुमति के बिना स्थापित किए गए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत निगम की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का आउटडोर विज्ञापन कार्य किया जाना नियम विरुद्ध है।

नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसी संचालकों, निजी भवन एवं भूमि स्वामियों, स्कूल एवं कोचिंग संचालकों, संस्थानों, संगठनों, व्यक्तियों एवं फर्मों को

निर्देशित किया है कि वे अपने द्वारा स्थापित सभी अवैध एवं अनधिकृत आउटडोर मीडिया उपकरणों को 27 जून 2026 की रात्रि 9:00 बजे तक स्वयं हटा लें।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद भी यदि अवैध आउटडोर मीडिया उपकरण नहीं हटाए गए, तो नगर निगम द्वारा उन्हें बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम, 2017 के तहत संबंधितों पर नियमानुसार जुर्माना (पेनल्टी) भी अधिरोपित किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था की होगी।नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए जनहित में यह सूचना समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। आदेश 26 जून 2026 से प्रभावशील माना जाएगा।

आम सूचना

श्रीमती कलावती पत्नी श्री नेमीचन्द के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित अम्बेडकर कॉलोनी, ग्राम जौरा खुर्द, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.1645 ग्राम जौरा खुर्द का भाग है। एवं जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में भूमि मुरारी, पश्चिम में-भूमि अन्य, उत्तर में भवन शेरू एवं दक्षिण में रास्ता 15 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री बालमुकुन्द पुत्र श्री पुरूषोत्तम, श्री हरीकृष्ण पुत्र श्री पुरूषोत्तम, श्री बिहारी पुत्र श्री पातीराम, श्रीमती ऊषा देवी पत्नी स्व. श्री सीताराम, दीपा, शिल्पा पुत्रीगण स्व. श्री सीताराम, श्री मुल्लन पुत्र स्व. श्री सीताराम जयें मुख्त्यारआम श्री अंशुल पुत्र स्व. श्री सीताराम द्वारा श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.861 दिनांक 04.07.2005 से विक्रय की गई थी। श्री दिलीप सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री ब्रजेश सिकरवार पुत्र श्री बादशाह सिंह सिकरवार को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.386 दिनांक 05.07.2012 से विक्रय की गई थी। श्री ब्रजेश सिकरवार द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती कलावती पत्नी श्री नेमीचन्द को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.4404 दिनांक 07.03.2013 से विक्रय की गई थी। उक्त सम्पत्ति के स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 04.07.2005 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्रीमती कलावती द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड वित्तीय संस्थान डबरा के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 04.07.2005 की मूलप्रति प्राप्त हो तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री रामबरन पुत्र श्री औतार सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम डोमपुरा, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.44 (सरदार पटेल वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे 130/4/1 एवं 130/4/2 ग्राम डोमपुरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-रास्ता 35 फुट चौड़ा, पश्चिम में-भूमि स्वामी, उत्तर में-भूमि स्वामी एवं दक्षिण में-रास्ता 25 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति एवं सलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री रामपाल सिंह एवं श्री रामपाल पुत्र श्री नाथूराम के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्रीमती लीला देवी द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री रामबरन पुत्र श्री औतार सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792023ए11686642 दिनांक 31.03.2023 से विक्रय की गई थी। श्री रामबरन द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार सम्मान कैपीटल लिमिटेड, सिटी सेन्टर, ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

अतिक्रमण हटाकर हाथ ठेलों को हॉकर्स जोन में कराया गया स्थानांतरित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 26 जून। नगर निगम आयुक्त के संघ प्रिय के निर्देशानुसार शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम के मदाखलत विभाग द्वारा शुक्रवार को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सड़क एवं फुटपाथ पर यातायात में बाधा बन रहे हाथ ठेलों, गुमठियों तथा अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर संबंधित हाथ ठेला संचालकों को निर्धारित हॉकर्स जोन में स्थानांतरित कराया गया।

पूर्व विधानसभा क्षेत्र में नोडल अधिकारी केशव सिंह चौहान के निर्देशन में मदाखलत अधिकारी ग्वालियर पूर्व शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा पिंटू पार्क पुलिस चौकी के सामने सड़क किनारे लगे हाथ ठेलों एवं गुमठियों को हटवाकर हाथ ठेला संचालकों को हॉकर्स जोन में व्यवस्थित कराया गया। भिंड रोड स्थित ब्रज वाटिका के समीप स्थापित गुमठियों को तत्काल हटाने की सख्त चेतावनी दी गई तथा पालन न करने पर जप्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त बैजाताल, मेट्रो टॉवर, थीम रोड, ठाठीपुर मयूर मार्केट, मुरार बारादरी चौराहा से अग्रसेन चौराहा तथा सदर बाजार क्षेत्र में सड़क एवं फुटपाथ पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारु कराई गई। अभियान के दौरान एक हाथ ठेला जप्त किया गया तथा दुकानदारों को अपना सामान दुकानों के भीतर रखने के निर्देश दिए गए।

ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में हजीरा चौराहा, सिविल अस्पताल तथा चार शहर का नाका मार्ग पर यातायात में बाधा बन रहे हाथ ठेलों एवं अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर सभी हाथ ठेला संचालकों को निर्धारित हॉकर्स जोन (इंटेक मैदान) में स्थानांतरित कराया गया।

ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पुरानी छावनी स्थित अटल गेट चौराहे पर अभियान चलाकर सड़क किनारे संचालित हाथ ठेलों को हटाया गया तथा पुन: अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।

निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त सार्वजनिक मार्गों एवं फुटपाथों पर अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध जप्ती सहित नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उक्त कार्रवाई में मदाखलत निरीक्षक सुघर सिंह सिसौदिया, श्रीकांत सेन, राघवेंद्र दीक्षित सहित नगर निगम का मदाखलत दल उपस्थित रहा।

प्रवेश समिति ने सभी विभागों से मांगी रिक्त सीटों की जानकारी

ग्वालियर 26 जून. जीवाजी विश्वविद्यालय में दो दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को बीएससी एग्रीकल्चर की काउंसलिंग शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। प्रशासनिक समझाइश और छात्रों की मांगों पर सहमति बनने के बाद पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी की गई। काउंसलिंग सुबह 11:30 बजे विभागाध्यक्ष प्रो. निमिषा जादौन की मौजूदगी में शुरू हुई और देर शाम करीब 7 बजे तक जारी रही। पूरे दिन छात्र-छात्राओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली और प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के पूरी हुई। छात्रों की मांग के बाद बीएससी एग्रीकल्चर में 20 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई थीं। इसके बाद कुल 80 सीटों पर काउंसलिंग आयोजित की गई, जिनमें से 77 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं वाणिज्य विभाग की काउंसलिंग में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट की रिक्त सीटें भी भर दी गईं, जिससे इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो गई। उधर प्रवेश समिति ने सभी विभागाध्यक्षों को ई-मेल भेजकर उनके विभागों में रिक्त सीटों की जानकारी मांगी है। सभी डेटा एकत्र होने के बाद बची हुई सीटों के लिए प्रवेश पोर्टल पर नई लिंक खोली जाएगी, ताकि शेष प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी की जा सके।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सचिन कुमार चौधरी पुत्र श्री राजकुमार चौधरी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति का फ्लैट क्रमांक बी-5, ब्लॉक-बी, फिफ्थ फ्लोर, स्थित सुमेर गेलेक्सिया, एयरपोर्ट रोड, गोला का मन्दिर ग्वालियर, जिला ग्वालियर म.प्र. में है, जिसका सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 1224 वर्गफुट एवं एरिया 953 वर्गफुट है और नगर निगम भवन क्रमांक 20/1687 और वार्ड क्रमांक 20 है। उक्त वर्णित सम्पत्ति की चतुर्सीमा निम्न प्रकार है:- पूरब में- ओपन स्पेस, पश्चिम में- फ्लैट क्रमांक बी-6, उत्तर में- कॉमन कॉरिडोर एवं दक्षिण में- ओपन स्पेस है। उक्त वर्णित फ्लैट संपत्ति को श्री सचिन कुमार चौधरी पुत्र श्री राजकुमार चौधरी ने जर्ये ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. एम.पी.142592017 ए1189736, दिनांक 12/04/2017 के द्वारा इसके पूर्व स्वामी श्रीमती इन्द्रदेवी पत्नी स्व. श्री गजेन्द्र सिंह आदि से क्रय किया था। उक्त वर्णित फ्लैट संपत्ति वर्तमान में समस्त शासकीय अभिलेखों में श्री सचिन कुमार चौधरी के नाम स्वामी के रूप में दर्ज है। उक्त वर्णित फ्लैट सम्पत्ति को क्रय करने के लिये श्री सचिन कुमार चौधरी से मेरी पक्षकार श्रीमती किरन बंसल पत्नी श्री विपिन कुमार बंसल से लिखतम् विकी अनुबंध पत्र संपादित करा लिया है, जिसका विक्रय पत्र किया जाना निश्चित है। उक्त वर्णित फ्लैट सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति, बैंक, कंपनी, वित्तीय संस्था, फर्म, सोसायटी, व्यक्ति विशेष एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग अथवा निकाय का कोई ऋण आदि बकाया हो या किसी का भी उक्त वर्णित फ्लैट सम्पत्ति एवं इसके समस्त असल दस्तावेज में कोई हित-निहित हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर मय दस्तावेजी सबूतों के मेरे कार्यालय पर कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति करें। अवधि गुजरने के उपरांत वर्णित भवन सम्पति के संबंध में की गई समस्त आपत्तियां, दावे व कार्यवाहियां मेरी पक्षकार श्रीमती किरन बंसल के मुकाबले अवैध व शून्य समझी जावेंगी।

दिनांक :-25/06/2026

प्रेषक-जे. पी. शर्मा(एडवोकेट)
कार्यालय - 5,सोमिल कॉम्प्लेक्स, आयकर भवन के पास, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) मो. 09425338053

In The Court Of V Additional District and Session Judge, District Court, Gwalior

Presiding Officer: अशोक कुमार त्रिपाठी
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)(RCA/0000186/2025)

पवन जेठवानी.....वादी
Vs
ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए).... प्रतिवादी
Process Id-22/2025
पेशी दिनांक :- 10/07/2026

प्रेषिती (1) गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा अध्यक्ष अशोक शर्मा पिता रामचन्द्र पता- प्रेम मार्केट, दाल बाजार लश्कर, ग्वालियर

यह कि प्रार्थी **पवन जेठवानी** ने आपके विरुद्ध के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एकपक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख **22 June 2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

सील
अशोक कुमार त्रिपाठी
पंचम जिला न्यायाधीश ग्वालियर (म.प्र.)

कृपया ध्यान है.1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी भिण्ड (म.प्र.)

प्र.क्र. 0003/बी-121/2026-27/ विशेष विवाह भिण्ड, दिनांक: 15/04/2026

विज्ञप्ति

आवेदक पीर मोहम्मद खॉन पुत्र मेहदल खॉन नि. ग्राम व पोस्ट परा तहसील अटेर जिला भिण्ड म.प्र. आवेदिका रिहाना वेगम पुत्री बड़ेलाल नि. ग्राम व पोस्ट उदोतगढ़ तहसील व जिला भिण्ड म.प्र. द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 09.04.2026 को आवेदन प्रस्तुत कर परस्पर आशियत विवाह की सूचना दी है। आवेदकगणों द्वारा प्रश्नाधीन सूचना मय 02 गवाहान के प्रस्तुत की गयी है तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये है। तथा अधिकतम 03 कलेण्डर माह में विवाह अनुष्ठान हेतु अवगत कराया गया है। अवेदकगणों को प्रस्तुत संयुक्त आवेदन पत्र आधार पर धारा 5 अधिनियम विवाह आशियत होने की कार्यवाही में जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई अपत्ति हो तो ऐसा हित रखने वाला व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित अथवा मौखिक रूप से अधोहस्ताक्षरकार्त के समक्ष इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर न्यायालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। अवधि गुजर जाने के बाद किसी प्रकार की कोई अपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अत: यह विज्ञप्ति आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा के अधीन जारी की गई है।

अधिकारी विवाह अधिकारी एवं अपर कलेक्टर जिला भिण्ड म.प्र.

आम सूचना

श्रीमती कलावती पत्नी श्री नेमीचन्द के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित अम्बेडकर कॉलोनी, ग्राम जौरा खुर्द, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.1645 ग्राम जौरा खुर्द का भाग है। एवं जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में भूमि मुरारी, पश्चिम में-भूमि अन्य, उत्तर में भवन शेरू एवं दक्षिण में रास्ता 15 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री बालमुकुन्द पुत्र श्री पुरूषोत्तम, श्री हरीकृष्ण पुत्र श्री पुरूषोत्तम, श्री बिहारी पुत्र श्री पातीराम, श्रीमती ऊषा देवी पत्नी स्व. श्री सीताराम, दीपा, शिल्पा पुत्रीगण स्व. श्री सीताराम, श्री मुल्लन पुत्र स्व. श्री सीताराम जयें मुख्त्यारआम श्री अंशुल पुत्र स्व. श्री सीताराम द्वारा श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.861 दिनांक 04.07.2005 से विक्रय की गई थी। श्री दिलीप सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री ब्रजेश सिकरवार पुत्र श्री बादशाह सिंह सिकरवार को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.386 दिनांक 05.07.2012 से विक्रय की गई थी। श्री ब्रजेश सिकरवार द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती कलावती पत्नी श्री नेमीचन्द को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.4404 दिनांक 07.03.2013 से विक्रय की गई थी। उक्त सम्पत्ति के स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 04.07.2005 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्रीमती कलावती द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड वित्तीय संस्थान डबरा के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 04.07.2005 की मूलप्रति प्राप्त हो तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

सूचना खण्डन एंव स